न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 19 / 2022

दायर दिनांक :– 02.03.2022

अनवान

हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर नि. रजवास तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अंजनी कुमार चाष्टा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 27 .04.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम मंडपिया प. ह. आमल्दा में स्थित कृषि भूमि संवत 2074–2077 में स्थित खाता संख्या 177 की आ.न. 706 / 12 कुल किता 01 रकवा 0.4856 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो प्रार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजियात में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश मुझ प्रार्थी का नाम हजारी पिता देवी रेगर दर्ज किया गया जब कि मुझ प्रार्थी का असल नाम हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर नि. रजवास तहसील जहाजपुर है। मुझ प्रार्थी का दस्तावेजी एवं वास्तविक नाम हजारी पिता नारायण रेगर है, जो विभिन्न राजकीय मान्यता प्राप्त दस्तावेजों में उल्लेखित है, जिनकी आधार कार्ड की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत आमल्दा द्वारा मुझ प्रार्थी की पहचान हेतु पहचान प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र की चरण सं 1 मे उल्लेखित कृषि आराजियात जो कि मुझ प्रार्थी को दिनांक 14.08.1989 मिसल नं. 1477 / 89 जो कि मुझ प्रार्थी को कृषि भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी सं. 706 / 12 में आवंटन किया गया जिसमें भी मुझ प्रार्थी का असल नाम हजारी पिता नारायण रेगर नि. रजवास तहसील जहाजपुर दर्ज है। उक्त सभी दस्तावेजात की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलगन है। मुझ प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकार्ड में गलत नाम की दाखिले की जानकारी दिनांक 04.01.2022 को पटवार हल्का आमल्दा गया तो वहां पर हुई और जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जहां पर मुझ प्रार्थी को जानकारी हुई कि जमाबन्दी मे मेरा नाम हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर के जगह हजारी पिता देवी रेगर का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जब कि राजस्व रिकार्ड में हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों कि भूलवश हजारी पिता देबी रेगर का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। जिसे जरिये इन्द्राज दुरूस्ती हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर किये जाने का प्रार्थी अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मियों द्वारा गलत अंकन हजारी पिता देवी रेगर का नाम विलोपित कर उनकी जगह हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की डिकी प्रार्थी बहक अप्रार्थी पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 20.04.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें बताया कि ग्राम मण्डपिया प. ह. आमल्दा के खाता सं. 177 खसरा नं. 706/12 रकबा 0.4856 हैक्टेयर खातेदार हजारी पुत्र देवी रेगर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सलग्न दस्तावेज में मिसल आंवटन पत्रावली व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम हजारी पिता नाराण रेगर सा. रजवास दर्ज है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा अधार कार्ड, पहचान पत्र व ग्राम पंचायत आमल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम हजारी पिता नारायण रेगर दर्ज रेकार्ड है। तथा संलग्न मिसल दस्तावेज में हजारी पिता नाराण दर्ज है। मुताबिक दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र व ग्राम पंचायत आमल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र व गांव वालों के बताये अनुसार हजारी पिता देवी रेगर के स्थान पर हजारी पिता नारायण रेगर किया जाना उचित बताया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम हजारी पिता देवी रेगर के बजाय हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर नाम में शुद्वी कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी का नाम हजारी पिता देवी रेगर के बजाय हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर दर्ज कर शुद्वि किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडपिया प. ह. आमल्दा में स्थित कृषि भूमि संवत 2074–2077 में स्थित खाता संख्या 177 की आ.न. 706/12 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर में खातेदार हजारी पिता देवी रेगर के बजाय हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 2022 / 19 / 2022 दिनांक 27.04.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– मु.न. 19 / 2022 अनवान हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर नि. रजवास बनाम तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा में अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के निर्णय की पालना के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम मंडपिया प. ह. आमल्दा में स्थित कृषि भूमि संवत 2074–2077 में स्थित खाता संख्या 177 की आ.न. 706 / 12 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर में खातेदार हजारी पिता देवी रेगर के बजाय हजारी पिता नारायण उर्फ नाराण रेगर दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner